आदेश–पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0.................................से ....तक
जिला–सिमडेगा, संख्या S.A.R. 89/2010 अमीत राहिल सवांसी
केस का प्रकारः– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम
श्री मनोज कुमार सिंह

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई

श्री अमीत राहिल सवांसी
पिता पति स्व० कुश्नाल सवांसी
साकिन सलडेगा थाना सिमडेगा
जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित
जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी श्री मनोज कुमार
सिंह पिता स्व० भुलन सिंह
....

साकिन– सलडेगा थाना सिमडेगा
जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार
अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का
अनुरोध करते हैं।

ग्राम	खाता सं0–	प्लॉट सं0	रकबा
सलडेगा	58	631	0.15 एकड़

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 22/11/2010
को उपस्थापित करें।

16/11/10
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा

22/11/2010 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन वापस प्राप्त है। आवेदक अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता नियुक्त पत्र के साथ हाजरी पड़ी है। दिनांक 29/11/10 को रखें।

अनु० दण्डा०
सिमडेगा।

29/11/2010 उभय पक्ष की ओर से कोई पैरवी नहीं है। अभिलेख दिनांक 1-12-2010 को रखें।

अनु० दण्डा०
सिमडेगा।

1-12-2010 उभय पक्ष की ओर से कोई पैरवी नहीं है। दिनांक 1/2/11 को रखें

अनु० दण्डा०
सिमडेगा

1/2/11 उभय पक्ष की ओर से हाजरी पड़ी। तथा उभय पक्ष जबाव दाखिल किया गया है। अभिलेख 18-3-2011 को रखें।

अनु० दण्डा०
सिमडेगा

18-3-2011 उभय पक्ष उपस्थित। सहायक सरकारी अधिवक्ता की बहस को सुना आदेशार्थ

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

सिमडेगा

अनु० दण्डा०
सिमडेगा।

COURT FEE भारत INDIA TWO RUPEES 2 Rs.

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा
(विधि शाखा)

श्रीमती राहिल सवांसी
बनाम
श्री मनोज कुमार सिंह

वाद संख्या –एस0ए0आर0 89/2010
दिनांक–

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदिका श्रीमती राहिल सवांसी,पति– स्व0 बुधनाथ सवांसी, साकिन सलडेगा,थाना सिमडेगा,जिला सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदिका ने लिखा है,कि विपक्षी श्री मनोज कुमार सिंह, पिता स्व0 झुलन सिंह, साकिन सलडेगा,थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया है जिससे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के तहत वापस दिलवाने का अनुरोध किया है।

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सलडेगा	58	631	0.15 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। न्यायालय में आवेदका तथा विपक्षी श्री मनोज कुमार सिंह, पिता स्व0 झुलन सिंह, अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में बतलाया कि वाद में प्रश्नगत भूमि खाता नं0 58 प्लॉट नं0 631 रकबा 0.15 डिसमिल आवेदिका के खरीदगी जमीन है, उक्त जमीन को आवेदिका द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, पिता स्व0 झुलन सिंह,ग्राम सलडेगा,थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा के हाथ गैर कानूनी ढ़ंग से पूर्व में ही बेच दी थी। उपरोक्त जमीन पर विपक्षी मनोज कुमार सिंह मकान बारी बना कर शंतिपूर्वक अपने परिवार के साथ रह रहे है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में यह स्पष्ट किया चूंकि आवेदिका ने विपक्षी के पिता को उक्त भूमि रहने बसने के लिए आपसी सहमति से कुछ राशि प्राप्त कर बिक्री कर दिया था। इसलिए वर्त्तमान में विपक्षी को बेदखल करना राष्ट्रीय क्षति होगी एवं न्यायसंगत नहीं होगा। आवेदिका का अनुरोध है कि वाद में प्रश्नगत जमीन को वापस दिलवाया जाय। आवेदिका अपनी इच्छा और बिना किसी दबाव में विपक्षी से मुआवजा प्राप्त करना चाहते है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि श्री मनोज कुमार सिंह ने वाद के आवेदिका श्रीमती राहिल सवांसी,पति स्व0 बुधनाथ सवांसी ने उक्त जमीन को आज से करीब 1967 ई0 से पूर्व विपक्षी के पिता स्व0 झुलन सिंह ने क्रय किया था उक्त जमीन आपसी बंटवारे में विपक्षी के हिस्से की जमीन है। उक्त प्रसंगत जमीन पर मकान बारी बनाया गया है,जिसका अनुमानित कीमत 200000.00(दो लाख)रुपये है आवेदिका के जमीन पर कभी दखल कब्जा नहीं रहा है। सिर्फ खरीदगी पट्टा दिखाती है। उक्त प्रोसिडिंग की जमीन में विपक्षी का पक्का मकान एवं घेरा बनाया गया है जिसे तोड़वाने से राष्ट्रीय क्षति होगी।

विपक्षी उक्त जमीन पर लम्बे समय से खतियानी रैयत एवं वर्त्तमान रैयत की जानकारी में शांतिपूर्वक दखकार होकर अपना स्वामित्व हासिल कर चुके है इसलिए विपक्षी को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा। अपितु विपक्षी श्री मनोज कुमार सिंह आवेदिका को प्रश्नगत भूमि के बदले विपक्षी आवेदिका को उचित मुआवजा देने को तैयार है। अतः वाद में प्रश्नगत जमीन पर उनका हक–दखल संपुष्ट किया जाय।

विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता ने बतलाया कि प्रश्नगत जमीन के आवेदिका एवं विपक्षी के पिता द्वारा कय विकय किया गया है। विपक्षी उक्त प्रश्नगत जमीन पर पक्का मकान,घेरा बना कर सपरिवार रह रहें है। विपक्षी लगभग 1967 ई0 पूर्व से शांतिपूर्वक दखलकार हैं। आवेदक उक्त जमीन के बदले उचित मुआवजा राशि लेने को तैयार है, तथा विपक्षी मुआवजा देने को तैयार है।

अंचलाधिकारी,सिमडेगा ने अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 10(।।)/रा0 दिनांक–4.01.11 द्वारा सूचित किया है कि विपक्षी का 0.12½ एकड़ भूमि पर कब्जा है एवं 1967 ई0 से है। मकान 2005 में पक्का मकान शहन निर्मित है जो 0.02 एकड़ भूमि पर अवस्थित है। इससे पूर्व सर्म्पूण 0.12½ एकड़ पर घेरा बारी बनाकर शांति पूर्वक दखल कब्जा है। मकान एवं घेरा का अनुमानित मूल्य 200000(दो लाख) रुपये है। खतियानी भाकु मुण्डारी,पिता ननकु मुण्डारी है।आवेदिका द्वारा भूमि कय की गयी है। पंजी ।। के रैयत श्रीमती राहिल सवांसी,पति स्व0 बुधनाथ सवांसी है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस तथा आवेदन के बयान को सुना दोनों पक्षों द्वारा दाखिल जवाब का भी अवलोकन किया

अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के लागू होने से पूर्व से विपक्षी का प्रश्नगत जमीन पर दखल है, परन्तु आवेदिका ने 1981 ई0 में इलियाजर मुण्डा से जमीन रजिस्ट्री पट्टा के द्वारा खरीदी और इस जमीन पर विपक्षी को दखल करने दिया गया। अतः इस वाद के भूमि पर आवेदिका ने विपक्षी को अधिकार अपनी सहमति से दिया है। आवेदिका के बयान के आधार पर जिसमें उन्होने आपसी सहमति से विपक्ष को भूमि पर दखल की अनुमति एवं अधिकार दिया है साथ ही 30 वर्षो से विपक्षी भूमि पर दखलकार है। आवेदिका द्वारा मुआवजा की मांग की जा रही है। अतः मैं इस निस्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदिका और मनोज कुमार सिंह के आपसी सहमति न्यायालय में दिए गए बयान के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा सलडेगा के खाता नं0 58 प्लॉट नं0 631 रकबा 0.12½ एकड़ का 50000.00(पचास हजार) रुपये प्रति डिसमील की दर से कुल 625000.00(छः लाख पचीस हजार) रुपये आदेश पारित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संबंधित अधिवक्ता के पहचान पर और दोनों पक्षों के अधिवक्ता की उपस्थिति में भुगतान करे। किसी भी स्थिति में विपक्षी अवैध कब्जा न करें न सी0एन0टी0एक्ट का उल्लंघन करें। वर्त्तमान रैयत के सन्तुष्ट हाने पर ही कार्रवाई हो। तत्पश्चात वाद की कार्यवाही समाप्त की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा

Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
2	3	4

उभय पक्ष उपस्थित। सहायक सरकारी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। एल०ए० आर० वाद संख्या 89/2010-11 में अनुमण्डल दण्डाधिकारी सिमडेगा द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री मनोज कुमार सिंह पिता स्व० मुलन सिंह साकिन सलडेगा थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा के खाता नं० 58 प्लॉट नं० 631 रकबा 0.012½ एकड़ का 625000/- (छः लाख पच्चीस हजार) रुपये मुआवजा राशि आवेदिका श्रीमति राहिल सवांसी पिता स्व० कुंजनाथ सवांसी साकिन सलडेगा थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा को सहायक सरकारी अधिवक्ता अनुज कुमार एवं आवेदक के अधिवक्ता सीताराम महतो के पहचान पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नकद भुगतान किया गया जो अभिलेख में दर्ज है।

लेखाधित एवं संशोधित

Sd/- 7/8/11
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सिमडेगा।

Sd/- 7/8/11
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Office action (column 4):

मैं राहिल स्वांसी पिता कुंजनाथ स्वांसी साकिन सलडेगा थाना + जिला सिमडेगा मौजा सलडेगा खाता 58 प्लाट 631 रकबा 12½ डि का मुआवजा 625000/- रुपया पायी तथा अपना हस्ताक्षर की।

राहिल स्वांसी

Identified Rahil Sonwasi who received compensation amount for 12½ decimal & Rupees [illegible] thousand Twenty five thousand only.
Sita Ram Mahto
Advocate

Petitioner Smt. Rahil Swansi received compensation amount of Rs. 6,25,000.00 (Rupees 6 Lacs twenty-five thousand only) from the opposite party Manoj Kumar Singh before Court in my presence.
Anuj Kumar
A.G.P.

सिमडेगा

प्रतिलिपि कर्ता

तुलनाकर्ता

प्रतिलिपिक

सेवा में,

अनुमंडल अधिकारी, सिमडेगा।

श्रीमती राहिल ~~सिर्का~~ सवांसी पति स्व० बुधनाथ सवांसी

बनाम

मनोज कुमार सिंह पिता स्व० झुलन सिंह

विषय :- S.A.R. वाद सं. 89/2010

ग्राम	खाता नं.	प्लाट नं.	रकबा
सलडेगा	68	631	0.12½

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नलिखित है

1. विपक्षी का प्रश्नागत भूमि पर किस प्रकार का कब्जा है ?

→ मकान सह डेरा बनाकर आंशिक दखल कब्जा है।

2. विपक्षी का कितनी भूमि पर कब्जा है और कब से है ?

→ विपक्षी का 0.12½ ड० भूमि पर कब्जा है स्व० 1967 ई० से है। जो बाकि सादा कागज पर निबंधित आजू दे पता चलता है।

3. विपक्षी द्वारा मकान, कुंआ बनाया गया है या कोई विकास कार्य किया गया है तो उसका पूरा ब्यौरा दें जैसे -

क) मकान कब से बना है कच्चा है या पक्का तथा कितनी भूमि पर अवस्थित है -

→ मकान 2005 ई० से बना है, अर्धपक्का है 0.02 ड० पर मकान बना है। इसके पूर्व सम्पूर्ण 0.12½ ड० पर डेरा बारी बनाकर शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है।

ख) उसकी अनुमानित कीमत क्या है ?

→ मकान एवं डेरा की कीमत 2,00,000/- (दो लाख रू०) अनुमानित है।

ग) कुंआ है तो कब से बना है उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

→ नहीं है।

4. खतियानी रैयत कौन है यदि खतियानी रैयत दूसरे व्यक्ति है तो आवेदक के साथ उनका क्या संबंध है ?

→ माकु कुम्हारी पिता ननकु कुम्हारी, आवेदिका द्वारा भूमि क्रय किया गया है।

5. पंजी II रैयत कौन है उनका नाम ब्योरे के साथ दें ?

→ श्रीमती राहिल सवांसी पति स्व० बुधनाथ सवांसी

6. विवादित भू की चौहद्दी - उ० गांव मैदान प्लॉट नं० 632

द० प्लॉट नं० 700

पू० उसी प्लॉट का अंश कोरा बाई का मकान

प० उसी प्लॉट का अंश आदित्य भूमि सकरा का मकान है।

अंचल

रा०क०र्म० द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन जाँचा। प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर)
अं०नि०
अं०नि०

(हस्ताक्षर)
कर्म०

(हस्ताक्षर) 3.1.11
अंचल अधिकारी
सिमडेगा

प्रतिलिपिक
प्रतिलिपिक

सिमडेगा

झारखण्ड अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 छोटानागपुर अधिनियम 1967
के अधीन भूमि वापसी के लिए आवेदन-पत्र।

सेवा में,

श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी
सिमडेगा

1. आवेदक का नाम एवं पुरा ब्योरा:-
आवेदक का नाम:- श्रीमति राहिल सवांसी
पिता का नाम:- स्व० बुधनाथ सवांसी
ग्राम: सलडेगा अंचल- सिमडेगा अनुमण्डल-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा।

2. क्या आवेदक अनुसूचित जन जाति के सदस्य है ? जी हाँ

3. वापसी ली जाने वाली जमीन का पूर्ण विवरण:-

मौजा- सलडेगा थाना नं०- 117
थाना- सिमडेगा खाता नं०- 58
प्लॉट नं०- 631 रकबा- 0.15 एकड़

4. जिस व्यक्ति के दखल में जमीन है उसका ब्योरा:-
नाम: श्री मनोज कुमार सिंह पिता/पति: स्व० अनुपम सिंह
जाति: राजपूत ग्राम: सलडेगा
थाना- सिमडेगा अंचल- सिमडेगा अनुमण्डल सिमडेगा जिला सिमडेगा

5. वापस ली जाने वाली जमीन संबंधी विवरण:-
(क) जमीन का अंतरण की तिथि- खरीदगी से बाद दाखल नहीं किया सन् 1985 से
(ख) क्या जमीन अंतरण निबंधित विक्रय-पत्र/ रजिस्टर्ड सेल
लीज ~~xx~~ गिफ्ट या ठेका आदि द्वारा किया है, यदि हो तो उसका
विवरण:- नाजायज दखलकार हैं कोई कागजात मुकाम नहीं है
(ग) क्या जमीन के हस्तान्तरित में उपायुक्त की पूर्ण अनुमति प्राप्त की गयी है
यदि हो तो उसका केश सं०- ×
(घ) क्या जमीन का हस्तान्तरण, छल प्रपत्र या अन्यत्र नाजायज तरीके से किया
गया है यदि हो तो उसका संक्षिप्त विवरण:- नाजायज दखलकार हैं।

6. वापस ली जाने वाली जमीन की स्थिति:- पक्की ईंट से सीमेन्ट से मकान बना हे जिसपर एसबेसटस से छारा गया है।

क्या उस जमीन का पक्का मकान आदि भी बने है, यदि हो तो उसके बनने की
तारीख एवं उसका अनुमानित मूल्य:- करीब दो लाख का मकान है।

7. अन्याय संबंधी सूचनार्थ, यदि कोई हो:-
वर्तमान में मैं राउरकेला में रहती हूँ मुझे जमीन का मुआवजा दिलवाया दिया जाय।

राहिल सावांसी
आवेदक का पूरा ह०/-

सिमडेगा

Identified
9.11.10

COURT FEE
5 Rs.
भारत INDIA
पाँच रुपए
FIVE RUPEES

NO-3448
18-3-11

समक्ष,

नोटरी पब्लिक

शपथ-पत्र
== == ==

C.F. 3278/11
RS: 5.00

मैं, राहिल संवासी पिता स्व0 बुधनाथ संवासी उम्र करीब 60 वर्ष निवास ग्राम-सलडेगा, थाना एवं जिला-सिमडेगा सशपथ ब्यान करता हूँ :-

§1§ यह कि, मैं निवास ग्राम-सलडेगा, थाना एवं जिला-सिमडेगा का निवासी हूँ।

§2§ यह कि, ग्राम-सलडेगा के खाता नं0- 58, प्लॉट नं0- 631, रकबा 0.15 एकड़ मेरी खरीदगी जमीन हैं।

§3§ यह कि, उक्त जमीन को मैं मनोज कुमार सिंह पिता स्व0 झुलन सिंह ग्राम-सलडेगा थाना एवं जिला-सिमडेगा के हाथ गैर क़ानूनी ढंग से पूर्व में ही बेच दी हूँ।

§4§ यह कि, उपरोक्त जमीन पर विपक्षी मनोज कुमार सिंह मकान बना कर रहते है तथा घर बारी हैं।

§5§ यह कि, मुझे उक्त जमीन का उचित मुआवजा दिलवा दिया जाय जिसका मैं हकदार हूँ।

आइन्दे श्रीमान मालिक हैं।

सही/- राहिल संवासी

COURT FEE
2 Rs.
भारत INDIA
दो रुपए
TWO RUPEES

हलफनामा
- - - -

मैं, राहिल संवासी यह हलफन तसदीक करती हूँ कि इस शपथ-पत्र में लिखी गई सारी बाते सही एवं सत्य हैं।

सही/- राहिल संवासी

प्रार्थी जो, श्री सीता राम महतो अधिवक्ता सिमडेगा के द्वारा पहचान किये गये है ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर इस शपथ-पत्र की सत्यता की पुष्टि की हैं।

पहचान किये,

Sita Ram Mahto
18.3.11

अधिवक्ता सिमडेगा।

नोटरी पब्लिक,
सिमडेगा।

NOTARY
Suresh Prasad
Dist. Simdega
Regd. No. 63/0
GOVT. OF JHARKHAND
18.3.11

सिमडेगा

No. AF 718 (C)
2011

BAR ASSOCIATION SIMDEGA